भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 153775

न्यास पत्र

हम कि महेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व0 रामवृक्ष सिंह निवासी म0नं0 3–के, मुहल्ला–अशोक नगर, बशारतपुर, शहर व जिला–गोरखपुर के हैं।

विदित हो कि हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक विकास एवं धार्मिक सद्भाव हेतु निरन्तर कार्य करते रहते हैं तथा हमें मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि मानव में सद्बुद्धि जो यथार्थ (सत्य) और व्यर्थ (असत्य) का दर्शन कर यथार्थ का वरण करते हुए उसकी प्रतिष्ठा में सहयोगी हो, को प्रदीप्त किया जाय, जिससे वह एक ऐसे स्वस्थ्य समाज की स्थापना में सहयोग कर सकने में समर्थ हो। जिसमें सत्य, शान्ति एवं आनन्द के सकारात्मक अनुसंधान के साथ समिष्ट जगत में पारस्परिक संतुलन एवं संरक्षण तथा इसके परिपालन का साहस हो। इस लक्ष्य के प्रचार–प्रसार एंव विकास के लिए समाज में तद्नुरूप वातावरण तैयार हो, जिससे समाज में सुख–शान्ति आपसी सद्भाव, विश्वास व सदाचार जैसे आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं शैक्षिक विकास हेतु उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं से समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन

Renaissance Academy

Principal

Renaissance Academy

Manager

क्रमशः.....2

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH Z 357352

किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास की स्थापना की जा रही है।

इस न्यास के संसाधनों की व्यवस्था के बात 11,111/– (ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह) रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की हम व्यवस्था करते रहेंगे। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था निम्नरूपेण की जायेगी :–

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम श्री सत्यनारायण सेवा ट्रस्ट होगा जिसे न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का कार्यालय 3–के अशोक नगर, बशारतपुर, गोरखपुर तहसील सदर, जिला गोरखपुर में स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों को सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उन कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत कराया जा सकेगा।
3. यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करते हैं जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं, को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा, जिनकी कुल संख्या 04 से कम तथा 05 से अधिक नहीं

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

क्रमशः.....3

Mahendra Pal Singh

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20 Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 15AA 795032

होगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रुप से न्यास मण्डल / ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रुप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है–

1. श्रीमती प्रेमलता सिंह पत्नी महेन्द्र पाल सिंह निवासी–अशोकनगर, बशारतपुर गोरखपुर।
2. अनुराधा सिंह पुत्री महेन्द्र पाल सिंह निवासी–अशोकनगर, बशारतपुर, गोरखपुर।
3. अभिषेक सिंह पुत्र महेन्द्र पाल सिंह निवासी–अशोकनगर, बशारतपुर, गोरखपुर।
4. यह कि हम मुकिर द्वारा "श्री सत्य नारायण सेवा ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:–

1) समाज को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

2) शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जाग्रत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।

Renaissance Academy
Manager

3) नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना तथा सी0बी0एस0सी0 / आई0सी0एस0सी पद्धति से अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना।

Renaissance Academy
Principal

महेन्द्र पाल सिंह
Mahendra Pal Singh

क्रमशः.....4

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (4) 15AA 795033

4) वर्तमान समय में विज्ञान के जन–जीवन का आवश्क एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्ध ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नालाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

5) समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक तालमेल, राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं वन्य जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

6) लिंग भेद, जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता सर्वे/लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

7) शिक्षा का प्रचार प्रसार, उन्नयन तथा देश के किसी भी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा, तकनीकी, गैर तकनीकी शिक्षा/विधि, शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।

8) समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड–केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी०जी० कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के श्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

Renaissance Academy

Manager

Renaissance Academy

Principal

क्रमशः.....5

Mahendra Pal Singh

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AB 197275

(5)

9) शैक्षणिक क्षेत्र में जैसे–मेडिकल, इंजीनियरिंग, पालिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की व्यवस्था तथा उसमें होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

10) संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व करना, उनके न मिलने की दशा में सीट पुरुषों द्वारा भरा जा सकता है।

11) अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए आगे की कोचिंग की व्यवस्था करना।

12) खाद्य प्रसंकरण जैसे – जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

13) युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, स्क्रीनिंग, इलेक्ट्रानिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्टहैण्ड/कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत, ब्यूटीशियन कोर्स तथा इसके अतिरिक्त फल संरक्षण, कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केन्द्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण ... Renaissance Academy ...य,

Renaissance Academy

Principal

Manager

क्रमशः.....6

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AB 197276

अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

14) समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे –गूंगे, बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वग/गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आतमनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।

15) वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जहाँ मनोरंजन, पढ़ने-लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

16) महिला संरक्षण गृह/विधवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।

17) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सा घर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

18) सरकारी, अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी बूटी वाले पौधों को

Renaissance Academy
Manager

Renaissance Academy
Principal

क्रमशः......7

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23AB 197277

(7)

बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी बूटी वाले पौधों का उत्पादन, सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना।

19) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त जनहित योजनाओं को लागू कराना तथा स्वतः रोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वतः रोजगार हेतु जन–जन तक पहुँचाना।

20) राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

21) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना बेचना, एवं उन्हें किराये या लीज पर लेन–देन करना, मार्गेज करना, या मकान बनवाना, बेचना आदि।

22) विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो जैसे –युनीसेफ, आई०सी०डी०एस०, नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन करना।

23) घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसें

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

क्रमशः.....8

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (8) 23AB 197278

सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी, रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न कराना।

24) बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान–मसाला, गांजा–भांग, स्मैक या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति हेतु निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

25) समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे–अंध विश्वास, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बाल श्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता, जाति–पाति एवं छुआछूत की भावना, स्वैच्छिक भावना के ह्रास को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

26) महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताड़ना, युवतियों का खरीद–फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केन्द्र की स्थापना करना।

27) सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना, विभिन्न त्यौहारों जैसे– होली, दीपावली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा समारोह जैसे – शादी, गवना, सालगिरह एवं जन्मदिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना।

28) विभिन्न प्रकार के खेल जैसे– योगा, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर

Renaissance Academy
Principal
Renaissance Academy
Manager

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23AB 197279

उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना। इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।

29) विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, पेयजल, स्वच्छता, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना जिसमें जागरूकता/प्रशिक्षण/कैम्प सहायात एवं हैण्डपाइप की व्यवस्था करना।

30) परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता, प्रशिक्षण, दवा, किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

31) एड्स, कैंसर, टी0वी0, कोढ़, मलेरिया, हैपेटाइटिस जैसे रोगों की जानकारी, रोकथाम, नियंत्रण, जागरूकता, उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कालेज, मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय पैरामेडिकल महाविद्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।

32) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी झोपड़ी एवं मलिन बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों के आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

33) सरकारी कार्यक्रमों जैसे डूडा एवं सूडा के कार्यक्रमों को संचालित करना।

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager
Mahendra Pal Singh

क्रमशः......10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10) 23AB 197280

34) सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़न्जा, पिच मार्ग, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

35) कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कराना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे सम्बन्धित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरुक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही साथ कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य दिलाना। तिलहन, दलहन तथा कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

36) वर्मी कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाली हानि से लोगों को अवगत कराना।

37) बंजर एवं ऊसर भूमि, गैर पारस्परिक उर्जा स्रोत वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कराना।

38) जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी, नियंत्रण, उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरुक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

Renaissance Academy

Principal

Renaissance Academy

Manager

......11

Mahendra Pal Singh

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23AB 197281

39) प्राकृतिक आपदाओं जैसे– हैजा, प्लेग, भूखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित हैं। ऐसी दशा में लोगों को बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूक तथा प्रशिक्षित करना है। इसके लिए आमजन/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसमें शासन एवं प्रशासन का सहयोग भी शामिल है।

40) लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गायों की देखभाल के साथ–साथ समुचित संरक्षण तथा उनके गोशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं के अवैध हत्या को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

41) तत्काल सुविधा पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना।

42) उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित है जिनको विभिन्न विभागों व स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा है।

43) पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों की कानूनी सहायता की जा सके।

क्रमशः......12

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager
Mahendra Pal Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (12) 23AB 197282

44) गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

45) किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिये गये कार्यो को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित करना।

46) सरकारी अथवा संस्था के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वे कार्य, डाटा कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य दृश्य, कैसेट, कठपुतली सामग्री, डक्यूमेन्ट्री एवं नुक्कड़ नाटक किट तैयार करना जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो जिससे न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होती है।

47) किसी सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र अथवा एन0जी0ओ0, एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना तथा उनके क्रिया–कलाप में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हैं।

48) सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं जन सामान्य /कम्पनी/व्यापारियों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रान्ट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित है।

49) विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे मे जानकारी देना तथा आर्थिक सहायता पहुँचाना।

50) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना।

Renaissance Academy Principal

Renaissance Academy Manager

क्रमशः......13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (13) 23AB 197283

51) सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

5– <u>ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य</u>

1. समान उद्देश्य की अन्य संस्थाओं व ट्रस्टों से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करना तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा इसके विभिन्न इकाईयों को सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उपसमितियों का गठन करना।
3. ट्रस्ट के अधीन संस्थाओं व समितियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।
4. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रूप से तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईयाँ गठित करना।
5. ट्रस्ट के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्ति की देखभाल करना तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास करना तथा आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना व अन्य प्रकार से उसकी व्यवस्था करना।

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

क्रमशः......14

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (14) 23AB 197284

7. ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बाबत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में विहित करना।

8. ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना तथा उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी अर्द्धसरकारी विभागों से दान, उपहार अनुदान, ऋण एवं अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित समस्त कार्यों को करना।

11. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की प्रथम परिनियमावली व उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूर्ण कर स्नातक व परास्नातक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन करना और इस हेतु स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/इन्स्टीच्यूट्स की स्थापना करना। इस प्रकार स्थापित

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

क्रमशः.....15

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23AB 197285

शैक्षिक संस्थाओं के सुचारू रूप से प्रबन्ध व्यवस्था हेतु निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए प्रशासन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी/कुलपति से स्वीकृति प्राप्त करना।

12. ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाली शैक्षिक, तकनीकी, गैर तकनीकी विद्यालयों व इन्स्टीच्यूट्स की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6. <u>ट्रस्ट की प्रबन्ध करना।</u>

क– <u>ट्रस्ट का गठन एवं संचालन</u>

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा।

1. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी एवं प्रबन्धक हम मुकिर महेन्द्र पाल सिंह होंगे।
2. ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा। मुख्य ट्रस्टी का यह अधिकार कि उसके द्वारा वसीयत के माध्यम से अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को कोई अन्य ट्रस्टी प्रतिबन्धित नहीं करेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में अपने उत्तराधिकारियों की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु हो जाय तो ट्रस्ट के शेष ट्रस्टियों को मुख्य ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारियों में से योग्य व्यक्ति को बहुमत के आधार पर ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी चयनित करने का अधिकार होगा।

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

क्रमशः......16

Mahendra Pal Singh

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (16) 23AB 197286

3. मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा।

4. ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण के ट्रस्ट की सुचारू रूप से प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किये गये ट्रस्टियों का कार्याधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन के मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार निर्वाचन सम्पन्न किये जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

5. ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग–पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

6. ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट से

Renaissance Academy
Principal
Renaissance Academy

क्रमशः.....17

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23AB 197287

पृथक कर दिया जायेगा ओर उनके स्थान पर पूर्व में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के रूप में संयोजित कर लिया जायेगा। यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो उसे ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

8. ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

ख) <u>ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन –</u>

1. ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

क्रमशः.....16

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23AB 197288

व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थिति व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2. वार्षिक बैठक ट्रस्ट के साल भर के क्रियाकलापों पर विचार होगा और आय–व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7– <u>मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य</u>

इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक के रूप में कार्य करने तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना।

ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार के धनराशियों को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।

ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों को देना।

ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब–किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

क्रमशः.....19

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (19) 23AB 197289

- ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण व प्राप्ति से सम्बन्धित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।
- ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के विरुद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।
- इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना तथा ट्रस्ट के मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्य को करना।
- ट्रस्ट के वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।
- ट्रस्ट के आय–व्यय का रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा–परीक्षण करना।
- ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख–रखाव करना।

8– <u>ट्रस्ट की कोष व्यवस्था</u>–

ट्रस्ट के कोष को सुचारू रख–रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी प्रकार डाकघर या राष्ट्रीयकृत/मान्यता प्राप्त अधिसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ एवं ऋण राशियाँ निहित होगी, ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा ॲधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

क्रमश:.......20

Mahendra Pal Singh

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23AB 197290

9– <u>ट्रस्ट के अभिलेख –</u>
ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करने/कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रुप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखे का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10– <u>ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था–</u>
ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूपों में की जायेगी –

– यह कि ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया ज़ा सकेगा और किसी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्ट व एक अन्य ट्रस्टी जिसके कि मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होंगे।

– यह कि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन क्रय कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिएं आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेंच सकेगा।

– यह कि ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को प्राप्त होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं व

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (21) 23AB 197291

समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

- ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।
- ट्रस्ट के आय-व्यय व लेखा के परीक्षण हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।
- ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।
- ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तो एवं सेवा पुस्तिकाओं का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यो को करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

Renaissance Academy
Manager

क्रमशः....22

Renaissance Academy
Principal

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23AB 197292

- ट्रस्ट मण्डल, ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।
- ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्तें लागू होगी।

घोषणा

"श्री सत्यनारायण सेवा ट्रस्ट" की तरफ से हम महेन्द्र पाल सिंह मुख्य ट्रस्टी के रूप में यह घोषित करते हैं कि यह ट्रस्ट पत्र लिखवाकर पढ़ व समझकर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच–समझकर निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस ट्रस्ट का विधिवत गठन हो सके।

हस्ताक्षर साक्षीगण:–

1- [illegible] सिंह S/o स्वर्गीय रामरक्षा सिंह ग्राम महराजगंज टोला [illegible] पो० [illegible] जि० गोरखपुर

2- [illegible] सिंह पुत्र स्व० रामरक्षा सिंह ग्राम–महराजगंज, टोला [illegible] पो०–[illegible] जिला गोरखपुर

Mahendra Pal Singh

महेन्द्र पाल सिंह

नि० अ० महेन्द्र पाल सिंह

Renaissance Academy
Principal

Renaissance Academy
Manager

आज दिनांक 30/09/2011 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 175

पृष्ठ सं. 207 से 250 पर क्रमांक 171

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार तिवारी

उप निबन्धक प्रथम

Renaissance Academy

Manager

Renaissance Academy

Principal